

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

—:: सार्वजनिक सूचना ::—

क्रमांक /

/भू-अर्जन/आ0क्र0नि0-16

पाटन, दिनांक

/08/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की भिलाई-3-औंधी-मोतीपुर मार्ग सड़क उन्नयन विकास योजना में ग्राम- सिरसाकला तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.) के भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के प्रावधानों के तहत अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. संभाग, दुर्ग (छ.ग.) के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है:-

(क्रय की जाने वाली भूमि व कृषकों के विवरण)

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम		क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण		स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
			खसरा	रकबा	
1	2		3	4	5
1	ईशर राम निषाद	छेरकू राम निषाद	283	0.0044हे./44.00 व.मी.	-
	कुल योग-01 खातेदार		01	0.0044 हे./44.00व.मी.	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

(डॉ. सर्वेश्वर मरेन्द्र भुरे)

कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,

पाटन, दिनांक 05/08/2020

क्रमांक / 1908 /भू-अर्जन/आ0क्र0नि0-16

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सार्वजनिक सूचना का एक राज्य स्तरीय दैनिक सामाचार पत्र एवं स्थानीय सामाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ। कृपया सार्वजनिक सूचना का छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा) दुर्ग (छ.ग.) वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत-सिरसाकला तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित एवं ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग